न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/55/2025	2025/235	04.11.2025	23.12.2025

1.उदयेन्द्र स्वामी पुत्र श्री महेशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलांट

बनाम

1.तहसीलदार गोविन्दगढ, जिला अलवर (राज०)।

2.कृष्ण कुमार स्वामी पुत्र स्व0 श्री मथुरा प्रसाद स्वामी, निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——असल रेस्पोडेन्ट्स

1.मंजू पुत्री श्री महेशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

2.वर्षा शर्मा पुत्री श्री महेशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

3.राधा पुत्री महेशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

4.नीतू शर्मा पुत्री महेशचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार गोविन्दगढ दिनांक 27.03.2024 प्रकरण संख्या 07/2024।

उपस्थितः—

01.श्री पवन सिंह चौहान —वकील अपीलाण्ट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

02.श्री मथुराप्रसाद जांगिड —वकील रेस्पोडेन्ट 02

03.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट 01

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गोविन्दगढ के निर्णय दिनांक 27.03.2024 प्रकरण संख्या 07/2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 2146/341 रकबा 0.0505 हैक्टर किरम गे० गु० रास्ता में से रकबा 0.0505 हैक्टर वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है,उक्त आराजी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा एक रिपोट न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान के समक्ष पेश कर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पाडेन्टस द्वारा उक्त आराजी पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार करना जाहिर किया गया है। जिस पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पार्डेन्टस को उक्त तहत अदालत द्वारा प्रकरण सं. 07/2024 दर्ज कर नोटिस अर्न्तगत पारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया। तत्पश्चात तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के खिलाफ कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आलोच्य निर्णय दिनांक 27—03—2024 को पारित किया गया है। जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील बिना किसी देरी अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। आराजी खसरा नम्बर 2146/341 रकबा 0.0505 हैक्टर किस्म गै० मु० रास्ता में से रकबा 0.0505 हैक्टर बाके ग्राम रागबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है. पर मिन अपीलाण्ट व सस्तीनी रेस्पान्टस का कोई अतिक्रमण/कब्जा नहीं हैं। पटवारी हल्का ने मौके के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पान्टस के विरुद्ध पारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पाडेन्टस के खिलाफ नोटिस जारी कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। मिन अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पाडेन्टस को जो नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहत अदालत द्वारा जारी किया गया है. वह नोटिस कानूनन गलत बिना किसी साक्ष्य के बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से जारी किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2146/341 रकबा 0.0505 हैक्टर किस्म गै० मु० रास्ता में से रकबा 0.0505 हैक्टर वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला जलवर राजस्थान में स्थित हैं, उक्त आराजी से लगते हुए, मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2147/341 वाके ग्राम रागबारा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान स्थित हैं. तथा रास्ते के दूसरी तर्फ की ओर अन्य लोगो के मकान बने हुए हैं, वं तरफ दक्षिण में जो आराजी हैं, उसकी रास्ते के लगते हुए, पक्की बाउन्डरी हैं। परन्तु तहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया।

मूल आराजी खसरा नम्बर 341 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता श्री महेशचन्द की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही हैं. मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडेन्टस के पिता श्री महेशचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के कुछ हिस्से को आबादी में कन्वर्ट कराया गया था, तथा उसके बाद उक्त आवासीय कन्वर्जन को सक्षम अधिकारी के यहाँ से व्यवसायिक कन्वर्ट करवा लिया गया था, एवं मौके पर उक्त खसरा नंबर में से कानूनन समर्पण की भूमि मौके पर छोड दी गयी थी, उक्त समर्पित भूमि की माप 4 बिस्वा कानूनन जो आवश्यक रही, छोड दिया गया था, एवं विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2146/341 रकबा 0.0505 हैक्टेयर जो कि राज्य सरकार के नाम हैं, तथा हाल आराजी खसरा नम्बर 2147/341 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जो कि श्री महेशचन्द पुत्र श्री अमरचन्द की मृत्यु के पश्चात महेशचन्द के वारिसो अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुका हैं। पूर्व में भी इसी सम्बन्ध के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान के आदेश पर तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा जारी आदेश क्रमांक भू०रा0 2019/282–287 दिनांक 04–06–2019 की पालना में दिनांक 07–06–2019 को पटवारी हल्का रामबास, पटवारी हल्का बारोली, पटवारी हल्का दौंगडी, पटवारी हल्का खेडा महमूद व पटवारी हल्का फाहरी की संगठित टीम के द्वारा आराजी खसरा नंबर 2147/341 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का सीमाज्ञान जरीब चलाकर किया गया, तब भी आराजी खसरा नंबर 2147/341 की मौके पर चारदीवारी भी थी, एवं उक्त पांचों हल्का पटवारीयो के द्वारा एक राय से सीमाज्ञान करने पर आराजी खसरा नंबर 2147/341 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से भी 4 बिस्वा रकबा कम पाया गया था, उक्त खसरा नंबर में समर्पण की 4 बिस्वा भूमि छोड़ने के पश्चात भी 4 बिस्वा और भूमि मौके पर कम पाई गयी थी। जिससे साफ जाहिर होता है, कि खसरा नम्बर 2147/341 की चारदीवारी रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा की ही की हुई हैं, अगर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होता, तो खसरा नम्बर 2147/341 की बारीदीवारी मौके पर 3 बीघा 14 बिस्वा से ज्यादा होती. जो की नहीं हैं। तहत अदालत तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान द्वारा अपने ही कार्यालय की पूर्व रिपोट का गहनता से अध्ययन किये बिना ही नोटिस मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को जारी किया गया है। मौका पर्चा दिनांक 07–06–2019 की प्रतिलिपी व जवाब तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान एवं जवाब उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की प्रतिलिपी तहत अदालत में पेशकर्दा जवाब नोटिस के साथ पेश की गयी है।

वर्तमान खसरा नम्बर 2147/341 पूर्व की पटवारी हल्का की रिर्पोट अनुसार गौके पर 3 बीघा 10 बिस्वा बैठा था. ऐसी स्थिति में गिन अपीलान्ट व तरतीची रेस्पाडेन्टस को जो दीवार बनाकर निर्माण करने का नोटिस दिया गया है, यो कानूनन गलत हैं। सन 2019 में ही मौके पर पटवारी हल्का द्वारा दीवार का निर्माण बताया गया था, तब भी तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी, क्योंकि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पासैन्टस ने राजकीय जमीन पर अतिक्रमण कर दीवार का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि मौके पर आराजी रकबा उबीघा 18 बिस्वा की जगह रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा है. इससे साफ जाहिर होता है, कि मित्त अपीलान्ट व तरस्तीबी रैस्पाडेन्टस ने मौके पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया गया है, मात्र मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडेन्टस को बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से तहत अदालत द्वारा नोटिस दिया गया हैं। तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान व उनके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारीयो ने नोटिस जारी करने से पूर्व विवादित आराजी की मौके पर कोई पैमाइश नहीं की गई, एवं ना ही इस सम्बन्ध में मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को सूचित किया गया, एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

ना ही आराजी हाल खसरा नम्बर 2147/341 की पैगायश करके नोटिस दिया गया हैं। तहत अदालत को मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पार्डेन्टस की भूमि का रकबा पूरा करने के बाद ही इस तरह का नोटिस भेजना था, लेकिन तहत अदालत द्वारा बिना जॉच व बिना तथ्यों के उक्त नोटिस भेजा गया हैं। पटवारी हल्का को रास्ते के तरफ पूर्व व रास्ते के तरफ दक्षिण में जो आराजी हैं, उनकी भी पैमायश करनी चाहिए थी, जो कभी नहीं की गयी हैं, सिर्फ रास्ते के एक तरफ ही तहत अदालत द्वारा अतिक्रमण बताना गलत हैं, जो न्यायसंगत नही हैं। जब मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पार्डेन्टस की खातेदारी की जमीन ही मौके पर कम हैं, तो अतिक्रमण क्यों और किस प्रकार हो सकता है, किस नियम के तहत होता हैं। आराजी खसरा नंबर 2147/341 के अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार श्री महेशचन्द के स्वर्गवास उपरान्त श्री महेशचन्द के कानूनी वारिसान में मिन अपीलान्ट उदयेन्द्र स्वामी, आकाश जैमन पुत्र सतीश चन्द, शुभम जैमन पुत्र सतीश बन्द तथा तरतीबी रेस्पाढेन्टस नीतू शर्मा, गंजू आचार्य, राधा, वर्षा शर्मा है, उक्त सभी वारिसान अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर वर्तमान में काबिज है, मिन अपीलान्ट उदयेन्द्र स्वामी गोविन्दगढ़ जिला अलवर राजस्थान में निवास करता है, तथा श्री महेशचन्द की उका पुत्रीयों तरतीबी रेस्पाडेन्टस विवाह के पश्चात से ही काफी वर्षों से अपने अपने ससुराल में निवास करती है. श्री महेशचन्द के दोनो नाती अपने अपने निवास स्थानों पर रहते हैं। जब मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस की आराजी मौके पर 3 बीघा 14 बिस्वा से कम हैं, तो मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस द्वारा किस तरह से नाजायज कब्जा किया हुआ है. तहत अदालत द्वारा जारी नोटिस अस्पष्ट है। विवादित आराजी पर मिन अपीलाण्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया हैं, पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये, व बिना पैमायश किये, तहत अदालत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। मिन अपीलाण्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस अतिक्रमी नहीं हैं। लेकिन तहत अदालत ने बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर आलोच्य निर्णय पारित किया है। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर दिनांक 15–03–2024 को जवाब नोटिस पेश किया गया, लेकिन तहत अदालत ने उक्त दिनांक की आदेशिका में मिन अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज की हैं। तहत अदालत द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के उपरान्त मिन अपीलान्ट को कोई सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। जिस कारण से मिन अपीलाण्ट अपना पक्ष तहत अदालत के समक्ष नही रख सका। इसलिए तहत अदालत द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए, तथा अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना आलोच्य निर्णय पारित किया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आलोच्य निर्णय खिलाफ़ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया हैं। जिससे निरस्तनीय है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। 15–यह कि तरतीबी रैस्पाडैन्टस तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा है. जिनके प्रकरण में हित निहित हैं, अपीलान्टस बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं। इसलिए रफाय हुज्जत तरतीबी रैस्पाडैन्टस बनाया गया हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य वाकेयात दौराने बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 27–03–2024 प्रकरण संख्या 07/2024 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त फरमाया जावे। तथा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त फरमाया जावें। महति कृपा होगी। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि पर्चा मौका दिनांक 07.06.2019 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2147/341 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा से भी 4 बिस्वा रकबा कम पाया गया था, उक्त खसरा नंबर में समर्पण की 4 बिस्वा भूमि छोडने के पश्चात भी 4 बिस्वा और भूमि मौके पर कम पाई गयी थी। नक्शा मौका संलग्न है। आराजी खसरा न0 स्वयं का खातेदारी का है। अगर फिर भी कोई संशय है तो पुनः पैमाईश करा लेवें।

वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 (राजकीय अभिभाषक) ने वकील अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स के कथनों का खण्डन करते हुए कहा कि अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा खसरा न0 2146/341 रकबा 0.0505 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। क्यूंकि अपीलांट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का रामबास की संवत 2080 की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2024 के अनुसार उदयेन्द्र स्वामी, नीतू शर्मा, मंजू, राधा, बर्षा शर्मा पुत्रियान महेशचन्द द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 2146/341 रकबा 0.0505 किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। खसरा गिरदावरी संवत 2080 सन 2023–24 में भी उक्त के द्वारा पक्की दीवार बनाकर कब्जा होना बताया है। तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा उदयेन्द्र स्वामी, नीतू शर्मा, मंजू, राधा, बर्षा शर्मा पुत्रियान महेशचन्द को दिनांक 21.02.2024 को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट 28.02.2024 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स दिनांक 21.03.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलांट द्वारा दिनांक 28.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव पेश करने के लिए 15 दिवस का समय चाहा। प्रार्थी को समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.03.2024 रखी गई तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.03.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर जबाव पेश किया। तहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश क्रमांक 132 दिनांक 20.03.2024 के द्वारा ग्राम रामबास के आराजी खसरा न0 2146/341 गै0मु0 रास्ते के सीमाज्ञान हेतु राजस्व टीम (श्री गजेन्द्र प0ह0 फाहरी, श्री सुदेश कुमार भू0अ0नि0 रामबास, श्री दाताराम गुर्जर, प0ह0 दौगडी, श्री मनीष चन्द मीना, प0ह0 सैदमपुर एवं श्री सुखविन्दर सिंह प0ह0 गोविन्दगढ) का गठन किया जाकर दिनांक 20.03.2024 को पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त टीम द्वारा दिनांक 20.03.2024 को आराजी खसरा न0 2146/341 गै0मु0 रास्ते का मौका निरीक्षण/सीमाज्ञान करने पर पाया कि आराजी पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। वकील अपीलांट्स द्वारा बार–बार मौका पर्चा दिनांक 07.06.2019 पर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। चूंकि तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का रामबास की अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2024 के आधार पर प्रकरण 07/2024 दर्ज कर आगामी कार्यवाही की गई है तो पूर्ववर्ती मौका पर्चा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतिक्रमण की पुष्टि/वास्तविक स्थिति हेतु पुनः दिनांक 20.03.2024 को राजस्व टीम द्वारा मौका निरीक्षण/सीमाज्ञान करने पर भी अतिक्रमण पाया गया।

पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण एवं पटवारी/राजस्व टीम की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2024 एवं 20.03.2024 से अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार गै0मु0 रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 27.03.2024 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर